वेतन व अन्य भत्तों पर आयकर की गणना व छूटें

वित्तीय वर्ष 2020-2021 (कर निर्धारण वर्ष 2021-2022)

परिचय (Introduction)— 1. आयकर कानून का संक्षिप्त इतिहास और विस्तार (Brief history and scope of Income Tax Law)— भारत में आयकर 1860 से लागू किया गया। इसके बाद 1886, 1922 और 1961 में कानून को संशोधित कर इसमें सुधार किया गया। वर्तमान में आयकर अधिनियम, 1961 लागू है। वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा इसमें और भी संशोधन किये गये। अतिरिक्त केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के भी आदेशों तथा अधिसूचनाओं द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट किया है। जो निम्न प्रकार है।

वित्त अधिनियम, 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधान

1. मौलिक छूट सीमा और स्लैब दरों में कोई परिवर्तन नहीं।

2. व्यक्ति/HUF करदाताओं के लिए सीमित करमुक्तियों/कटौतियों/कटौतियों के साथ न्यून कर दरों की नई कर व्यवस्था की घोषणा। A.Y. 2021-22 के लिए यह योजना वैकल्पिक होगी।

3. भारतीय नागरिक/PIOs) जिनकी कुल आय (विदेशी आय को छोड़कर) 15 लाख रुपए से अधिक हो, अनिवासी बने रहने के लिए एक गत वर्ष के दौरान केवल 120 दिन ही भारत में रह सकेंगे। [धारा 6 (1)]

4. अनुमोदित ट्रस्ट/संस्थान, को तीन महीने के भीतर तथा पंजीकरण प्राप्त करना होगा और प्रत्येक 5 वर्षों में इसका नवीनीकरण कराना होगा। नया पंजीकरण/अनुमोदन केवल 3 वर्षों के लिए अंतरिम आधार पर स्वीकृत होगा।

[धारा 10 (i) और धारा 12 (i) और (i)]

5. केवल 31.3.2020 तक घोषित, वितरित या भुगतान किये गए शेयरों पर लाभांश और यूनिटों से आय, करमुक्त होगी। [धारा 10 (34) और (35)]

6. धमार्थ ट्रस्टों, आदि को धारा 44AB में विनिर्दिष्ट तिथि अर्थात् रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि से एक महीना पहले, खातों का ऑडिट कराना होगा और ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। [धारा 12A(1)(b)]

7. नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी के संबंध में उसके RPF/NPS या सुपरएनुएशन फंड खाते में अंशदान की राशि का जोड़, जो एक वर्ष में 7,50,000 रुपए से अधिक हो, अनुलाभ के रूप में करयोग्य होगा। ऐसा अंशदान जिसे कुल आय में शामिल किया गया हो, पर कोई ब्याज, लाभांश, आदि भी अनुलाभ के रूप में करयोग्य होगा। [धारा 17(2)(vii) और (viia)]

8. Stock-in-trade के रूप में धारित अचल संपत्ति के हस्तांतरण से आय की गणना में, उसके स्टॉम्प ड्यूटी मूल्य को अपनाया जाएगा यदि वह वास्तविक प्रतिफल के 10 प्रतिशत से अधिक हो। [धारा 43CA]

9. अपर्याप्त प्रतिफल के लिए अचल संपत्ति के हस्तांतरण को प्राप्तकर्ता आय माना जाएगा, यदि उसका स्टॉम्प ड्यूटी मूल्य प्रतिफल की राशि से 50,000 रुपए या प्रतिफल का 10% जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो। [धारा 56 (2)(x)]

10. लाभांश अन्य स्रोतों से आय के रूप में करयोग्य होंगे। लाभांश और म्यूचुअल फंड की यूनिटों से आय के संबंध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी, ब्याज खर्च अधिकतम ऐसी आय के 20% तक को छोड़कर [धारा 57]

11. विद्युत वाहन के लिए ऋण पर ब्याज के लिए कटौती 31.3.2021 तक की गई खरीद के संबंध में बढ़ा दी गई है। [धारा 80 EEA]

12. वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, आदि को नकद दानों के लिए कटौती केवल 2,000 रुपए तक स्वीकृत होगी। अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, आदि को दानों का विवरण निर्धारित फार्म और प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत करना होगा। [धारा 80 GGA]

13. एक वर्ष में 5,000 रुपए से अधिक का, किसी भी तरीके से भुगतान किए गए लाभांश पर 10% TDS काटा जाएगा। [धारा 194]

13.5.2020 को प्रेस कान्फ्रेंस में वित्त मंत्री द्वारा घोषित रियायतें

1. A.Y. 2020-21 के लिए सभी करदाताओं द्वारा रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि को 30.11.2020 तक बढ़ाया गया।

2. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31.10.2020 तक जमा करनी होगी।

3. कर निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा को A.Y. 2018-19 के लिए बढ़ाकर 31.12.2020 और (i) 2019-20 के लिए 30.9.2021 किया गया।

4. वित्त वर्ष 2019-20 में आरंभ किये गए पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय-सीमा को 30.9.2021 तक बढ़ाया गया।

5. निवासियों को सभी गैर-वैतनिक भुगतानों पर TDS की दरों को 14.5.2020 से 25% घटाया गया।

6. TCS की दरों को 14.5.2020 से 35% घटाया गया।

7. विवाद से विश्वास योजना के तहत अंतिम तिथि को, बिना अतिरिक्त 10% भुगतान के 31.12.2020 तक बढ़ाया गया।

2. वित्त अधिनियम 2019-2020 में कर का ढांचा

कर का ढांचा (Structure of Tax)— कर का

निर्धारण निम्न विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर आयकर रिटर्न दाखिल करनी है।

विकल्प-1 (i) कोई व्यक्ति, HUF, AOP, BOI, सहकारी संस्थाओं को छोड़कर (individuals, HUF, AOP/BOI, other than co-operative societies)

आय सीमा	कर प्रतिशत
रु. 2,50,000 तक	शून्य
रु. 2,50,001 से 5,00,000	5 प्रतिशत
रु. 5,00,001 से 10,00,000	20 प्रतिशत
रु. 10,00,001 से ऊपर	30 प्रतिशत

(ii) वरिष्ठ नागरिक, निवासी महिला/पुरुष, जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो किन्तु 80 वर्ष से कम हो।

आय सीमा	कर प्रतिशत
रु. 3,00,000 तक	शून्य
रु. 3,00,001 से 5,00,000	5 प्रतिशत
रु. 5,00,001 से 10,00,000	20 प्रतिशत
रु. 10,00,001 से ऊपर	30 प्रतिशत

(iii) Super senior citizen वरिष्ठ नागरिक पुरुष अथवा महिला जिसकी आयु 80 वर्ष अथवा उससे अधिक हो।

आय सीमा	कर प्रतिशत
रु. 5,00,000 तक	शून्य
रु. 5,00,001 से 10,00,000	20 प्रतिशत
रु. 10,00,001 से ऊपर	30 प्रतिशत

(2) उपकर (Health and Education Cess)— कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से देय आयकर पर 4% उपकर देय होगा।

(3) सरचार्ज की दरें (आयकर पर देय होगा)

(i) 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%

(ii) 1 करोड से अधिक 2 करोड़ तक 15%

(iii) 2 करोड़ से अधिक 5 करोड़ तक 25%

(iv) 5 करोड़ से अधिक 37%

(4) अधिसूचित **Infrastructure debt fund** की आय करमुक्त होगी। **- सेक्शन 10 (47)**

(5) नई पेंशन योजना (1.1.04 के बाद) में केन्द्र सरकार/ नियोक्ता/ राज्य सरकार द्वारा किये गये अंशदान के लिये कटौती 1,50,000 रुपए की सीमा से अतिरिक्त मिलेगी।

-वित अधिनियम 2012 सेक्शन 80 सीसीडी

विकल्प-2 व्यक्तियों/HUFs के लिए नई कर व्यवस्था वर्ष 2021-22 से लागू की है:-

कुल आय (Rs.)	विधमान आयकर की दर (%)	नवीन आयकर की दर (स्वैच्छिक) (%)
0-2,50,000	0%	0%
2,50,001-5,00,000	5%	5%
5,00,001-7,50,000	20%	10%
7,50,001-10,00,000	20%	15%
10,00,001-12,50,000	30%	20%
12,50,001-15,00,000	30%	25%
15,00,001 and above	30%	30%

नवीन दरों में कोई कटौती नहीं मिलेगी यथा-(a) वेतन में से मानक कटौती, (b) स्व-आवास के लिए ऋण पर ब्याज, (c) परिवार पेंशन में से मानक कटौती (d) मकान किराये की छूट (e) मकान ऋण पर ब्याज (f) अध्याय VI-A के तहत कटौतियाँ (धारा 80CCD(2) और धारा 80JJAA के अतिरिक्त तथा अन्य बहुत सी करमुक्तियाँ/कटौतियाँ।

यह योजना वैकल्पिक है। गैर-व्यापारी करदाता विकल्प का चुनाव प्रत्येक वर्ष के लिए कर सकते हैं। व्यापारी/पेशेवर करदाता जो विकल्प चुनते हैं अगले वर्षों के लिए भी नई कर व्यवस्था में ही रहेंगे तथा इस योजना से कवेल एक बार ही बाहर आ सकेंगे। [धारा 115 BAC]

विद्यमान कर दरों एवं नई वैकल्पिक कर दरों में आयकर की गणना का उदाहरण

एक अधिकारी की वार्षिक आय-15,50,000	कटौतियाँ	
	(80 C to 80 CCC)	1,50,000
	मेडीक्लेम	50,000
	दान प्रधानमंत्री राहत कोष	10,000
	मकान किराये पर देय ब्याज	1,00,000
	कुल कटौती	3,10,000
	विद्यमान दरों पर	**नवीन दरों पर**
वार्षिक आय	15,50,000	15,50,000
कटौती : स्टेन्डड डिडेक्शन	(-) 50,000	
80 (C) की कटौती	(-) 1,50,000	
दान	(-) 10,000	
मकान किराये पर ब्याज	(-) 1,00,000	
		Nil

कर योग्य आय		12,40,000
आय 2.50 तक	दर	आयकर
2.50 लाख से 5 लाख तक	5%	12500
5 लाख से 10 लाख तक	20%	1,00,000
10 लाख से अधिक (2.40 लाख पर)	30%	72,000
आयकर		1,84,500
शिक्षा उपकर 4%		7380
कुल आयकर		1,91,880

15,50,000		
आय	दर	आयकर
2.50 से 5.00 लाख तक	5%	12500
5 लाख से 7.50 लाख तक	10%	25,000
7.50 लाख से 10 लाख तक	15%	37,500
10 लाख से 12.50 लाख तक	20%	50,000
12.50 लाख से 15 लाख तक	25%	62,500
15 लाख से अधिक (50,000 पर)	30%	15,000
		2,02,500
		8100
		2,10,600

नोट : सेवारत कार्मिकों, पेशनर्स जो बचत कर रहे हैं उन्हें विद्यमान दरें लाभकारी हैं।

(5) 12500 रुपए आयकर की छूट **(Sec. 87A)**

5.00 लाख तक की कर योग्य आय पर राशि रुपए 12500 की टैक्स की छूट मिगी।

(7) कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से कटौती की सीमा

(i) चैप्टर (vi) के अन्तर्गत (सेक्शन 80 C, से 80CCC) कुल कटौती 1,50,000/-

(ii) नवीन पेंशन योजना में पृथक से कटौती-50,000/- (80 CCIB)

(8) प्रॉपर्टी की खरीद पर TDS(Section 194-1A) : यदि कोई प्रोपर्टी 50.00 लाख रुपए या अधिक कीमत की खरीदी जाती है तो उस पर 1% TDS काटना होता है। इस धारा में "Sale Consideration" शब्द की परिभाषा नहीं दी गई थी। इस बजट में इसमें "Sale Consideration" शब्द की परिभाषा भी शामिल कर दी गई है। नये नियमों के तहत 1.9.2019 से 50.00 लाख रुपए की केल्कुलेशन बाबत प्रोपर्टी की कीमत के अलावा बिल्डर/मालिक को मकान से संबंधित अन्य सुविधाएं जैसे कार पार्किंग फीस, मेन्टीनेंस फीस, कॉमन सुविधा फीस, क्लब मैम्बरशिप फीस आदि के बाबत कोई रकम अदा की जाती है तो वह भी प्रोपर्टी में जोड़ कर यह देखा जाएगा कि 50.00 लाख रुपए या अधिक बनते हैं या नहीं।

उदाहरण : मान लीजिए किसी सोसायटी में कोई मकान 48.00 लाख रुपए में खरीदा गया तथा बिल्डर द्वारा इस सोसायटी में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं बावत 3 लाख रुपए अतिरिक्त चार्ज किये गये। ऐसे मामले में 1.9.2019 से TDS की जिम्मेवारी बन जाएगी, क्योंकि 50 लाख रुपए की वैल्यू हेतु मकान की कीमत व सुविधाओं बाबत दिये गये चार्जेज जोड़ कर देखे जाएंगे। इस केस में यह रकम 51 लाख रुपए बन जाती है। ऐसे में इस ट्रांजैक्शन पर TDS काटना होगा। इस हेतु कानून में लिखा गया है:-"Consideration for immovable property shall include all charges of the natrue of club membership fee, car parking fee, elcectricity and water facility fee, maintenacne fee, advance fee or any other charges of similar nature, which are incidental to transfer of the immovable property."

एक व्यक्ति करदाता के लिए वेतन के घटक तथा आयकर की दृष्टि में इनकी गणना

(1) वेतन— विशेष वेतन, महंगाई वेतन, बकाया वेतन, अग्रिम वेतन, पेंशन (2) फीस तथा कमीशन (3) बोनस (4) अन्तरिम राहत, (5) नोटिस वेतन (6) मानदेय (7) पारिश्रमिक (8) पेन्शन (9) निर्वाह भत्ता (10) ट्यूशन फीस का पुनर्भरण (11) 1.1.04 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन के 10 प्रतिशत का पेंशन अंशदान, AIS हेतु 14 प्रतिशत पेंशन अंशदान।

(A) कर योग्य भत्ते— (1) महंगाई भत्ता (2) मकान किराया भत्ता (3) शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (4) प्रतिनियुक्ति भत्ता (5) निश्चित चिकित्सा भत्ता (6) प्रेक्टिस न करने का भत्ता (7) अतिरिक्त समय कार्य भत्ता (8) टिफिन भत्ता (9) नौकर भत्ता (10) वार्डन प्रोक्टर भत्ता (11) ग्रामीण भत्ता (12) परियोजना भत्ता (13) परिवार भत्ता (14) विवाह भत्ता (15) जीवन निर्वाह भत्ता (16) पर्वतीय भत्ता (17) सत्कार भत्ता (18)

विशेष भत्ता (19) अन्तरिम राहत (20) ओवर टाइम (21) अधिसूचित भविष्य निधि से सेवक द्वारा वेतन के 12 % से अधिक अंशदान और 9.5 % से अधिक ब्याज (22) सेक्शन 80 CCD के अन्तर्गत अधिसूचित पेन्शन योजना में केन्द्रित शासकीय सेवक का पूर्व वर्ष का अंशदान (23) सवारी भत्ता

(B) कर मुक्त राशि एवं भत्ते— (1) यात्रा भत्ता (2) दैनिक भत्ता (3) सवारी भत्ता (4) सहायक भत्ता (5) विद्यापार्जन भत्ता (6) वर्दी भत्ता (7) रिटायरमेण्ट पर उपार्जित छुट्टी का नगदीकरण (30 दिवस तक) (8) ग्रेच्यूटी (20.00 लाख की सीमा तक) (9) पेंशन का रुपान्तरण

(9) स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) : इस योजना के तहत प्राप्त राशि धारा 10 (10C) के अनुसार अधिकतम 5 लाख तक कर मुक्त होती है।

नोट : अन्य भत्ते आयकर अधिनियम के 1961 के चैपटर 3 के अनुसार देखें

मकान किराया भत्ता— कर्मचारी द्वारा उसके आवास के संबंध में प्राप्त मकान किराया भत्ता निम्न में से सबसे कम राशि तक करमुक्त होगा:

(a) वास्तव में प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता, या

(b) वेतन के 1/10 भाग से अधिक किराये का भुगतान, या

(c) निम्न के बराबर राशि- .

(i) जब आवास मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास में हो तो संबंधित अवधि के लिए करदाताको देय वेतन का आधा भाग, और

(ii) जब आवास किसी अन्य स्थान पर स्थित हो तो संबंधित अवधि के लिए करदाता को देय वेतन का 2/5 भाग [नियम 2A]

इस उद्देश्य के लिये, वेतन में महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। यदि नौकरी की शर्तों में ऐसा प्रावधान हो (जैसे प्रोविडेंट फण्ड और भत्तों आदि की गणना करते समय इसे शामिल करना) परन्तु अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ (perquisites) शामिल नहीं होंगे।

करदाता द्वारा प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता कर से मुक्त नहीं होगा, अगर (a) करदाता आवासीय मकान का स्वामी हो, या (b) करदाता जिस मकान में रह रहा है, उसके लिए किराये (या चाहे जिस नाम से जाना जाए) के भुगतान पर वास्तव में कुछ खर्च न किया हो।

करमुक्त HRA की राशि कर्मचारी के वेतन, HRA की राशि, भुगतान किया गया किराया और वह स्थान जहां आवास किराये पर लिया गया हे, पर निर्भर करती है। यदि सभी घटक पूरे वर्ष एक समान हों तो करमुक्त राशि वार्षिक आधार पर गणित की जा सकती है। अन्यथा, यदि किसी घटक में कोई बदलाव हो, तो करमुक्त राशि को मासिक आधार पर गणित किया जाना चाहिये।

उदाहरण 10: जयपुर में रह रहे Mr. X द्वारा दिये गये निम्न वितरण से, करयोग्य HRA की राशि निर्धारित करें।

(a) मूल वेतन (प्रति वर्ष) 3,00,000 रुपए

(b) मकान किराया भत्ता (प्रति वर्ष) 60,000 रुपए

(c) जयपुर में मकान के लिए किराये का भुगतान 75,000 रुपए

निम्न में से न्यूनतम कर मुक्त HRA की राशि होगी:

(i) वास्तविक HRA 60,000 रुपए

(ii) किराये का भुगतान-वेतन का 10% [अर्थात 75,000 रुपए-30,000 रुपए] 45000 रुपए

(iii) वेतन का 40 प्रतिशत (चूंकि मकान जयपुर में है) 1,20,000 रुपए

अत: कर मुक्त HRA 45,000 रुपए होगा तथा HRA की कर योग्य राशि [60,000 रुपए-45000 रुपए =] 15000 रुपए होगी।

धारा 24 के अन्तर्गत मकान ऋण ब्याज पर कटौती :-

स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में मकान बनाने, मरम्मत कराने, क्रय करने हेतु लिये गये ऋण के ब्याज के सम्बन्धमें निम्न प्रकार छूट देय होगी:-

(i) 1.4.99 से पूर्व प्राप्त ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में- 30,000 रु.

(ii) 1.4.99 को या उसके पश्चात् प्राप्त किये गये ऋण के ब्याज की अधिकतम कटौती-

(a) यदि ऋण मकान बनाने या खरीदने के लिये लिया है तो-1.50 लाख रु.

(b) यदि ऋण मरम्मत पुनर्निर्माण के लिये लिया है तो वास्तविक ब्याज किन्तु अधिकतम 30,000/- रुपए होगा।

यदि स्वयं के निवास हेतु कोई मकान सम्पत्ति का निर्माण अथवा खरीद 1.4.99 अथवा इस तिथि के पश्चात् उधार ली गई पूंजी से करवाया गया है तो उक्त सम्बत्ति के सम्बन्ध में ब्याज की 1.50 लाख की छूट इसी दशा में स्वीकृत होगी कि उक्त मकान सम्पत्ति पूंजी उधार लेने वाले वर्ष के अन्त से अगले तीन वित्तीय वर्षों में (कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से 5 वर्ष) निर्मित हो गई हो अथवा खरीद ली गई हो।

आवासीय मकान संपत्ति के लिये लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती [धारा 80EE]

किसे मिलेगी: एक व्यक्ति (Individual) करदाता को, जिसने एक आवासीय मकान संपत्ति अधिग्रहीत करने के लिए किसी बैंक/आवासीय वित्त कंपनी से ऋण लिया हो।

कटौती की राशि : ऐसे ऋण पर previous year के दौरान देय ब्याज की राशि अधिकतम 50,000 रुपए।

शर्तें : (1) ऋण 1.4.2016 से 31.3.2017 के बीच अनुमोदित किया गया हो।

(2) ऋण की राशि 35 लाख रुपए से अधिक न हो।

(3) आवासीय मकान संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक न हो।

(4) ऋण के अनुमोदन की तिथि को करदाता किसी आवासीय मकान का मालिक नहीं हो।

(5) जिस ब्याज के लिए इस धारा के तहत कटौती ली जा चुकी हो, वह किसी अन्य प्रावधान उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष में कटौती योग्य नहीं होगा।

2. सस्ते मकान के लिये किए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती [धारा 80EEA]

किसे मिलेगी: एक व्यक्ति (Individual) करदाता को, जिसने एक आवासीय मकान संपत्ति अधिग्रहीत करने के लिए किसी बैंक/आवासीय वित्त कंपनी से ऋण लिया हो।

कटौती की राशि : ऐसे ऋण पर previous year के दौरान देय ब्याज की राशि अधिकतम 50,000 रुपए।

शर्तें : (1) ऋण 1.4.2019 से 31.3.2021 के बीच अनुमोदित किया गया हो।

(2) आवासीय मकान का स्टाम्प ड्यूटी मूल्य 45 लाख रुपए से अधिक न हो।

(3) ऋण के अनुमोदन की तिथि को करदाता किसी आवासीय मकान का मालिक नहीं हो।

(4) जिस ब्याज के लिए इस धारा के तहत कटौती ली जा चुकी हो, वह किसी अन्य प्रावधान उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष में कटौती योग्य नहीं होगा।

साथ ही उक्त छूट प्राप्त करने के लिए ऋणदाता से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लेना होगा कि उक्त ऋण मकान, सम्पत्ति के निर्माण अथवा खरीद अथवा इसी उद्देश्य के लिये पूर्व में लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दिया गया है।

(1) कटौतियों के आधारभूत नियम निम्न हैं :-

(क) सकल कुल आय (Gross Total Incomes) से कटौतियों की राशि अधिक नहीं हो सकती।

(ख) यदि व्यक्तियों के समूह (Association of Persons : AOP) और व्यक्तियों के निकाय (Body of Individuals : BOI) को यदि कटौतियाँ अनुज्ञेय की जा चुकी हैं तो ऐसे सदस्यों को कटौतियाँ अनुज्ञेय नहीं की जा सकती।

(ग) उन्हीं करदाताओं को कटौतियों का दावा (Claims) करना चाहिये जो प्रासंगिक अभिलेख (relevant records) प्रस्तुत कर सकते हों।

(घ) सकल कुल आय के शुद्ध आय (Net income) में से ही कटौतियाँ अनुज्ञेय होगी। किसी आय से जब कोई कटौती की जानी हो अथवा किसी सेक्शन के अंतर्गत अनुज्ञेय हो तब उसे सेक्शन के तहत कटौती संगणित करने के लिये, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शुद्ध आय (Net income) गणित की जाएगी। अत: चैप्टर VI-A के अंतर्गत किसी प्रकार की कटौती, यह मानी जानी चाहिए कि जैसे करदाता को प्राप्त आय हो और वह सकल कुल आय (Gross Total Income) में शामिल हो।

(ङ) निर्धारण वर्ष 2006-07 से, यदि करदाता धारा 139 (1) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आय की रिर्टन जमा नहीं करता, तो धारा 80-IA, 80-IAB, 80-IB और 80-IC, 80-ID या 80-IE के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं मिलेगी।

सेक्शन- 80-AC

2. सकल कुल आय (Gross Total Income) Sec.80-B

सेक्शन 80-B(5) के अनुसार 'सकल कुल आय' (Gross Total Income) का अर्थ कुल आय से है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संगणित की गई है और इसमें से इसके पूर्व अधिनियम के चैप्टर VI-A के अंतर्गत किसी प्रकार की कटौती न की गई हो।

(i) जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम का भुगतान (Premium paid on Life Insurance Policies)— निम्न शर्तों के अध्यधीन भुगतान की गई प्रीमियम की राशि कटौती योग्य होगी-

(ए) पॉलिसियों को जीवन पॉलिसी (life policy) होनी चाहिये,

(बी) कर दाता या उसके/उसकी Spouse या उसके बच्चे (जिसमें सौतेल और गोद लिए बच्चे शामिल हैं) की जीवन पॉलिसी होनी चाहिये। 'बच्चे' में शादीशुदा पुत्री और बालिग बच्चे शामिल हैं।

(सी) दो वर्ष के भीतर एकल प्रीमियम पॉलिसी समाप्त करने या lapse होने की दशा में

— गत वर्षों में भुगतान राशि की कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी,

— कटौती की कुल राशि जो अनुज्ञेय थी, को आय मानकर कर योग्य मानी जाएगी,

31.3.2012 तक जारी पॉलिसी के लिए	वास्तविक बीमा राशि का 20%
1.4.12 को या उसके बाद जारी बीमा पॉलिसी के लिए	वास्तविक बीमा राशि अर्थात न्यूनतम बीमा राशी का 10%
1.4.13 से विकलांग व्यक्तियों की	15%

कुछ ग्रुप बीमा योजनाओं के अंशदान भी कटौती योग्य होते हैं। यह योजनायें निम्न हैं-

— महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवक ग्रुप बीमा योजना,

— केन्द्रीय शासकीय सेवकों का बीमा योजना,

— Employees Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952 के तहत स्थापित परिवार पेंशन निधि,

— कर्नाटक राज्य सेवक ग्रुप बीमा योजना,

— Children Deferred Endowment Assurance Policy.

(ii) आस्थगित वार्षिकीय (Deferred Annuity)— कोई करदाता अपने Spouse या अपने बच्चे (नाबालिग या बालिग) के जीवन पर इसे जारी रखने के लिये भुगतान की गई राशि,

(iii) भविष्य निधि अंशदान (Provident Fund Contribution)— 'अंशदान' में केवल subscriptioin आयेगा। इसमें निधि से लिए ऋण के विरुद्ध वापसी की राशि शामिल नहीं होगी।

(ए) Provident Fund Act, 1925 के अंतर्गत किसी भविष्य निधि में भुगतान किया गया अंशदान (contribution),

(बी) कोई निधि जो Employees' Provident Fund Act के अंतर्गत स्थापित हो या कोई मान्यता प्राप्त निधि में दिया गया अंशदान,

(सी) Public Provident Fund (PPF) में दिया गया अंशदान पूर्णत: कटौती योग्य।

(iv) अधिवार्षिकी निधि अंशदान (Superannuation Fund Contribution)— किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में किसी सेवक द्वारा किया गया अंशदान पूर्णत: कटौती योग्य।

(v) यूनिट लिंक्ड अश्योरेंस प्लान (Unit linked Assurance Plan : ULIP)— यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (UTI) की ULIP या LIC के म्युचुअल फंड (धनरक्षा, 1989) में दिया गया अंशदान पूर्ण रिबेट योग्य। ऐसा अंशदान करदाता, या उसके पति-पत्नि (spouse) या करदाता के किसी बच्चे के नाम अंशदान दिया जा सकता है।

(vi) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Savings Certificates)— NSC-VIII issue में दिए गए अंशदान की पूर्ण राशि कटौती योग्य । यदि अशंदान संयुक्त नामों से दिया जाता है तो जिस व्यक्ति ने अपने कर योग्य आय से अंशदान में राशि लगाई होगी वही कटौती का दावा कर सकता है। लगाई गई राशि छ: वर्ष बाद एकमुश्त भुगतान की जाती है। प्रत्येक वर्ष उपार्जित ब्याज (interest accruing), छठवें वर्ष को छोड़कर, पुन:विनियोजित (re-invested) माना जाता है और सेक्शन 80-C के अंतर्गत कटौती योग्य होगा। ब्याज को निम्नानुसार गणित किया जाता है :-

बैंक के माध्यम से आधुनिक पेमेट के तरीके

इन्कम टैक्स के कई सेक्शन ऐसे हैं जिसमें यह कन्डीशन लगी हुई है कि भुगतान एकाउंटपेयी चैक या एकाउंटपेयी ड्राफ्ट से ही करना है, लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों में बैंक से पेमेंट भुगतान के कुछ अन्य माध्यम जैसे RTGS, NEFT, UPI, Online Fund Fransfer, Net Banking, IMPS आदि भी विकसित हो चुके हैं। ऐसे में इन्कम टैक्स एक्ट में जहां-जहाँ भुगतान बाबत एकाउंट पेयी चैक या एकाउंटपेयी ड्राफ्ट का जिक्र है वहां बजट-2019 द्वारा यह परिवर्तन किया गया है कि ऐसा भुगतान Other electronic mode जिसे कि सरकार नोटिफाई करेगी, के माध्यम से भी किया जा सकेगा। इन्कम टैक स एक्ट में आज के दिन डोनेशन के सम्बन्ध में यह नियम है कि दो हजार रुपए से अधिक का डोनेशन कैश में देने पर दान कर्ता को छूट प्राप्त नहीं होती, धारा 35AD, 40A(3), 43 में यह नियम है कि एक दिन में एक व्यक्ति को 10 हजार रुपए से अधिक का भुगतान नगद में नहीं करना। धारा 44AD में यह नियम है कि जहां टर्नओवर की वसूली चैक/ड्राफ्ट से हुई है वहां 6 प्रतिशत की रेट से नेट प्रोफिट माना जाएगा। इसी प्रकार धारा 269CS, 269T, 269ST में भी लोन एवं डिपोजिट के सम्बन्ध में यह प्रावधान हैं कि ऐसा लोन और डिपोजिट लेना व वापिस करना एकाउंटपेयी चैक या ड्राफ्ट से होना चाहिए। इस समस्त धाराओं में बजट 2019 के द्वारा यह परिवर्तन किया गया है कि चैक/ड्राफ्ट के साथ-साथ अन्य ऑनलाईन बैंकिंग माध्यम से भी भुगतान हो सकेगा।

Time of Purchase of NSC-(VIII Issue)

Year	During 2012-13	During 2013-14 to 2015-16	During April 1,2016 and Sept. 30,2016	During 1.10.16 to 31.3.17	During 1.4.17 to 30.6.17	During 1.7.17 to 31.12.17	During 1.1.18 to 30.9.18	During 1.10.18 to 30.6.19	During 1.7.19 to 11.12.19	During 12.12.19 to 31.3.20
1	8.78	8.68	8.10	8.00	7.90	7.80	7.60	8.00	7.90	7.90
2	9.56	9.43	8.76	8.64	8.52	8.41	8.18	8.64	8.52	8.52
3	10.40	10.25	9.46	9.33	9.20	9.06	8.80	9.33	9.20	9.20
4	11.31	11.14	10.23	10.08	9.92	9.77	9.47	10.08	9.33	9.92
5	12.30	12.11	11.06	10.88	10.71	10.53	10.19	10.88	10.74	10.70

NSC-IX Issue

Amount of interest accruing on the certificate of Rs. 100 denomination

Year for which interest accrues	When Investment made			Year for which interest accrues	When Investment made		
	Before April 1,2012	During 2012-13	on or after 1.4.2013		Before April 1,2012	During 2012-13	on or after 1.4.2013
First Year	8.89	9.10	8.99	Sixth Year	13.61	14.06	13.83
Second Year	9.68	9.93	9.80	Seventh Year	14.82	15.34	15.08
Third Year	10.54	10.83	10.68	Eighth Year	16.13	16.74	16.43
Fourth Year	11.48	11.81	11.64	Ninth Year	17.57	18.26	17.91
Fifth Year	12.50	12.89	12.69	Tenth Year	19.13	19.92	19.52

(vii) वार्षिकी प्लान (Annuity Plan)— LIC के किसी अधिसूचित वार्षिकी प्लान या Indian Insurance Company के किसी पंजीकृत प्लान को जीवित रखने के लिये दी गई राशि कटौती योग्य होगी। नव जीवन धारा I और नव व्यक्ति अक्षय I, LIC के प्लान 13-5-2004 से इस उद्देश्य के लिये अधिसूचित है।

(viii) 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि (PPF)— करदाता द्वारा अपने या पत्नी/पति, बच्चे के नाम पर या करदाता हिन्दू अविभाजित परिवार हो तो परिवार के किसी सदस्य के नाम पर, 15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेन्ट फण्ड खाते के अंशदान। -सेक्शन 80-C

(ix) इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (Equity Linked Saving Schemes)— UTI के अधिसूचित म्युचुअल फंड में निवेश/अंशदान पूर्णत: कटौती योग्य है। इस मामले में दिया गया अंशदान करदाता के नाम होना अनिवार्य हैं-

1. SBI Mutual Fund
2. CANBNAK Mutual Fund
3. LIC Mutual Fund
4. The India Magnum Fund- N.V. Mutual Fund
5. Indian Bank Mutual Fund
6. PNB Mutual Fund
7. BOI Mutual Fund
8. Asian Convertibles and Income Fund Mutual Fund
9. GIC Mutual Fund
10. Canbank (Offshore) Mutual Fund
11. BOB Mutual Fund
12. ICICI Mutual Fund
13. Indbank Offshore Mutual Fund
14. Commonwealth Equity Mutual Fund
15. Kothari Pioneer Mutual Fund
16. Taurus Mutual Fund
17. Morgan Stanley Mutual Fund
18. Apple Mutual Fund
19. CRB Mutual Fund
20. Shriram Mutual Fund
21. 20th Century Mutual Fund
22. Birla Mutual Fund
23. JM Mutual Fund
24. IDBI Mutual Fund
25. Indbank Communications (Offshore) Fund
26. HB Mutual Fund
27. Alliance Capital Mutual Fund
28. Indbank Invesco (Offshore) Fund
29. ABN Amro Bank Money Market Fund

(x) भविष्य निधि (Provident Fund)— UTI द्वारा संस्थापित किसी अधिसूचित भविष्य निधि में अथवा सेक्शन 10 (23 D) के अंतर्गत अधिसूचित किसी म्युचुअल फंड में दिया गया अंशदान/अधिसूचित भविष्य निधि निम्न हैं:-

(क) Retirement Benefit Unit Scheme of UTI

(ख) Kothari Pioneer Pension Plan of Kothari Pioneer Mutual Fund.

(xi) गृह ऋण लेखा योजना (Home Loan Account Scheme)— नेशनल हाउसिंग बैंक अथवा अधिसूचित ऐसे संस्थाओं में दिया गया अंशदान (Subscription) की पूरी राशि कटौती योग्य।

(xii) पब्लिक सेक्टर कम्पनी या हाउसिंग अथारिटी की जमा योजना (Deposit Scheme of Public Sector Co./ Housing Authority)— किसी अधिसूचित योजना इत्यादि में जमा राशि पूर्णत: कटौती योग्य।

(xiii) आवास गृह अर्जित करने संबंधी भुगतान (Payments for acquisition of residential house)— आवास गृह सम्पत्ति के उद्देश्य से क्रय करने या निर्मित कराने के लिये किया गया भुगतान कटौती योग्य है, बशर्ते कि निम्न दो शर्तों को पूरा किया जाए— (1) सम्पत्ति से प्राप्त आय कर को प्रभारित हो (इसमें स्वयं की अधिभोगी सम्पत्ति भी शामिल है) तथा (2) जिस वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति पर कब्जा किया गया हो उससे पाँच वर्ष पूरा होने के पहले स्थानान्तरित नहीं की जा सकती। यदि इस अवधि में आवास स्थानान्तरित किया जाता है तो स्थानान्तरण के वर्ष कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी। इसके साथ ही पिछले वर्षों में जो कटौतियाँ अनुज्ञेय की गई थीं को स्थानान्तरण के वर्ष में उन कटौतियों को करदाता की आय मानी जाएगी और आयकर के अधीन लाई जाएगी।

निम्न भुगतान कटौती के लिए पात्रित नहीं होंगे-

(ए) शेयर धारक बनने के लिये या किसी कम्पनी या सहकारी संस्था का सदस्य बनने के लिए प्रारंभिक जमा (admission fee, cost of share and initial deposit) की राशि, या

(बी) आवास का (Completion) प्रमाण पत्र मिलने के बाद मकान के विस्तार, परिवर्तन, मरम्मत इत्यादि में खर्च की गई राशि, या

(सी) ऐसा कोई व्यय जो सेक्शन 24 के अन्तर्गत सम्पत्ति की आय की संगणना से कटौती योग्य है।

(xiv) बच्चों की शिक्षा के लिये भुगतान की गई ट्यूशन फीस (Tution fee paid for education of Children)— किसी व्यक्ति द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में भुगतान की गई राशि, बशर्ते कि निम्न शतों को पूरा किया गया हो-

(1) विकास फीस (Development fees) या दान (Donation) या इसी प्रकार के भुगतानों को छोड़कर ट्यूशन फीस के रूप में भुगतान की गई राशि।

(2) यह राशि दाखिला (admission) के समय या इसके बाद भुगतान की गई हो,

(3) भारत के किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को भुगतान किया गया हो,

(4) यह पूर्णकालिक शिक्षा (Full time eudcation) के उद्देश्य के लिये भुगतान किया गया हो,

(5) ऐसे व्यक्ति के केवल दो बच्चों के लिये भुगतान किया गया हो।

(xv) ऐसी कम्पनियों में निवेश जो Infrastructural facilities के कामों में लगे हों - Public companies, Public financial institutions और/या अधिसूचित म्युचुअल फण्ड की यूनिटों में कर छूट (tax rebate) के लिये निवेश, बशर्ते कि निम्न शर्तों को पूरा किया गया हो-

(ए) किसी कम्पनी, वित्तीय संस्थान या म्युचुअल फण्ड का पूंजी के शेयर/डिबेंचर्स/यूनिटें, योग्य ईशु का एक भाग हो,

(बी) सेक्शन 54 EC या 54 ED के अन्तर्गत जो पूंजीगत लाभों पर छूट का दावा किया गया हो तब सेक्शन 80 सी के अन्तर्गत ऐसा निवेश कटौती का पात्र नहीं होगा

कटौती की अधिकतम सीमा (Ceiling limit aggregated deduction) (1) AY 2006-07 के लिए, सेक्शन 80 सीसीई में प्रावधानित किया गया है कि सेक्शन 80 सी, 80 सीसीसी और 80 सीसीडी के अन्तर्गत कटौती की कुल राशि 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। - सेक्शन 80सीसीई

(xvi) बैंक में सावधि जमा (Fixed Deposites in Bank)- अधिसूचित योजना के तहत अनुसूचित बैंक में किया गया सावधि जमा कम से कम 5 वर्ष के लिए जमा। सेक्शन 80 C (2)xxi

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी अधिसूचित बाण्डों में अंशदान सेक्शन 80 C (2) xxii

(xvii) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के अंतर्गत खाते में जमा। सेक्शन 80 C (2) xxiii

(xviii) 5 वर्षीय डाक घर सावधि जमा। सेक्शन 80 C (2) xxiv

उपरोक्त (xvii) एवं (xviii), वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा जोड़ा गया।

(3) कुछ पेन्शन निधियों के अंशदान बाबत कटौती (Contribution to certain pension funds) Section 80 CCC— भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी वार्षिक प्लान या अन्य पंजीकृत भारतीय बीमा कम्पनियों में स्थापित निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए भुगतान किया गया अंशदान। कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से 'जीवन सुरक्षा' में जमा राशि अनुज्ञेय की गई। मुख्य शर्तें यह है कि—

— कर प्रभावित होने वाली आय से भुगतान किया गया हो,

— वास्तव में भुगतान की गई राशि की ही कटौती हेतु पात्रित होगी,

— वर्ष में 10,000 रु. तक ही कटौती की जा सकेगी,

— निर्धारित अथवा नामांकिती इस योजना के किसी भाग

के समर्पित (surrender) करने पर जो राशि प्राप्त करेगा वह निर्धारिती या नामांकिती की आय मानी जाएगी और कर योग्य होगी।

— निर्धारिती अथवा उसके नामांकिती को पेंशन योजना से जो पेंशन राशि प्राप्त होगी वह कर योग्य होगी।

— जिस राशि के संबंध में इस सेक्शन के अंतर्गत कटौती की जा चुकी है, उस राशि पर निर्धारण वर्ष 2006-2007 से सेक्शन 80-C के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के बारे में कटौती— 80 CCD— केन्द्रीय सरकार की सेवा में 1-1-2004 को या इसके बाद नियुक्त किए गए सेवकों के लिये एक नई पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना के अनुसार सेवक को वेतन (महंगाई भत्ता+ग्रेड पे को जोड़कर, किन्तु अन्य भत्तों और परिलब्धियों: perquisties : को छोड़कर) का 10% प्रत्येक महीने में इस योजना मेंअंशदान देना पड़ेगा। इतनी ही राशि केन्द्रीय सरकार भी उसके खाते में देगी, किन्तु यह राशि सेवक के वेतन के 10% से अधिक नहीं होगी।

कटौती की मात्रा— (1) सेवक द्वारा पेंशन योजना में भुगतान की गई या जमा कराई गई राशि, किन्तु अधिकतम कटौती वेतन के 10% तक होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पेंशन योजना में सेवक के खाते में किए गए अंशदान की राशि, अधिकतम उसके वेतन के 14% तक।

(3) यदि सेवक के खाते में जमा राशि, सेवक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा खाता बंद करते समय या योजना से अलग होते समय प्राप्त होती है या खाता बंद करने/योजना से अलग होने पर खरीदी या ली गई वार्षिकी योजनाओं से पेंशन प्राप्त होती है, तो यह राशि प्राप्ति वाले वर्ष में कर योग्य होगी।

(4) धारा 80-C, 80CCC और 80CCD की कटौतियों की राशि 1.50 लाख के अलावा नियोक्ता के अंशदान में 10 प्रतिशत राशि की छूट पृथक से देय होगी। AIS हेतु नियोक्ता का अंशदान 14% होगा।

(5) कतिपय शेयरों में निवेश हेतु छूट

10 लाख तक की आय वालों के लिए शेयरों में 50,000 तक निवेश करने पर 50 प्रतिशत की छूट देय होगी। बशर्ते की निवेश का Lock in period 3 वर्ष रहेगा। धारा 80 CCG

(6) चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती- Section-80D

व्यक्ति और HUF यदि करदाता previous year के दौरान अपनी कर योग्य आय में से नगद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से (1) General Insurance corporation of India की Mediclaim योजना या किसी अन्य बीमा कम्पनी की अनुमादित योजना के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम का [1][या (2) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में अंशदान का] भुगतान करता है, तो निम्नलिखित कटौती मिलेगी।

(a) व्यक्ति की स्थिति में (In case of Individual) - करदाता या पत्नी/पति, या माता-पिता, या आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य बीमा के संबंध में।

(b) हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में- परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा के संबंध में।

कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए अधिकतम रु. 25000 (रु. 50,000 यदि बीमाकृत व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हो)।

कटौती की राशि-

करदाता व्यक्ति (Individual) होने की स्थति में

(i)	अपने, पति/पत्नी तथा निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य बीमा के लिए	अधिकतम रु. 25,000 (बीमाकृत व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में रु. 50,000)।
(ii)	माता या पिता या दोनों के स्वास्थ्य बीमा के लिए	अधिकतम रु. 25,000 (बीमाकृत व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में रु. 50,000)।

स्वयं, पति-पत्नी, माता-पिता या निर्भर बच्चों के निवारक स्वास्थ्य परीक्षण के लिये किया गया, कुल भुगतान अधिकतम रुपए 5000 तक कटौती के लिये पात्र होगा।

(2) हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) करदाता की स्थिति में, अधिकतम कटौती रु. 25,000 (बीमाकृत व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में रु. 50,000)।

उपरोक्त संशोधन वित्त अधिनियम 2018 द्वारा किये गये।

(6) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान की कटौति Section 80D- इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (a) में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि किसी निर्धारिती के द्वारा गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में किये गये अंशदान को भी इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए दी गई सीमा के अंतर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

(7) आश्रित विकलांग के अनुरक्षण/चिकित्सा उपचार (Maintenance/Medical treatment of handicapped dependents)— Section-80 DD— के संशोधन के अनुसार, कतिपय शर्तों के पूरा होने पर 75,000 रु. तथा गंभीर विकलांगता की स्थिति में रु. 1,25,000 के समान दर से कटौती (flat deduction) अनुज्ञेय की गई, भले ही व्यय की राशि इससे कम क्यों न हो—

(8) विनिर्दिष्ट रोगों के उपचार बाबत कटौती (Deduction in respect of medical treatment on specified

diseaseas) Section 80 DDB—जैसा आयकर बोर्ड द्वारा किसी विनिर्दिष्ट बीमारी को घोषित किया जाए।

(1) जहाँ रोगी (निर्भारिती या आश्रित रिश्तेदार हो) वरिष्ठ नागरिक रु. 1,00,000 : या वास्तविक व्यय, हो कम हो किन्तु यदि चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे रोग के उपचार हेतु कोई राशि मिली है तो वह राशि या जो नियोजक ने प्रतिपूर्ति की हो, कम की जायेगी। **वर्ष 2018-19 से वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष की ऊपर की आयु होने पर भी छूट 1,00,000 रुपए देय होगी।**

(2) दूसरे मामलों में रु. 40,000 या वास्तविक व्यय, जो कम हो किन्तु यदि ऐसे रोग के उपचार हेतु चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कोई राशि मिली है या वह राशि जिसे नियोजक ने प्रतिपूर्ति की हो वह कम की जायेगी।

नियम 11 DD के अन्तर्गत— (1) Neurological Diseases, being Dementia, Dystonia Musculorun Deformans, Motor Neuron Disease, Ataxia,Chorea, Hemiballismus, Aphasia and Parkinsons Diseases; (2) Cancer, (3) AIDS, (4) Chronic Renal Failure, (5) Hemophilia, (6) Thalassaemia बीमारियाँ घोषित की गई हैं।

(9) उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान पर छूट (Repayment of loans for higher education)- Section 80E—

वित्त अधिनियम 2007 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि करदाता व्यक्ति (Individual) ने अपनी या अपने रिश्तेदार (अर्थात् पति, पत्नी और बच्चों) की उच्चतर शिक्षा के लिये किसी वित्तीय संस्थान या किसी अनुमोदित पुणर्थ संस्थान से ऋण लिया है तो उस ऋण पर देय सम्पूर्ण ब्याज की छूट देय है। वित्त अधिनियम, 2009 के अनुसार उच्च शिक्षा का अर्थ है **बारहवीं या** इसके बराबर की कोई कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कोई भी शिक्षा **प्राप्त करने के लिये कर्ज लेने पर ब्याज की छूट मिलेगी।**

यह ऋण किसी वित्तीय संस्था (Financial Institution) अथवा किसी अनुमोदित पूर्ति संस्था (approved charitable institution) से ही लिया गया हो,

उच्च शिक्षा का तात्पर्य Full time studies for any graduate or post-graduate course in Engineering, Medicine, Management, or for post-graduate course in Applied Science or Pure Science including Mathematics and Statistics से है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि graduate or post-graduate in Engineering would include studies in Architecture.

निर्धारण वर्ष 2006-07 से कटौती की मात्रा- करदाता द्वारा Previous year में अपनी कर योग्य आय में से ऐसे किसी भी ऋण पर ब्याज के भुगतान की राशि, बिना किसी सीमा के।

करदाता जिस वर्ष से ऐसे ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रारंभ करेगा उस वर्ष से अधिकतम 8 वर्षों तक या जब तक ब्याज पूरा वापस न कर दे, जो भी पहले हो, तब तक यह कटौती मिलेगी।

(10) कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्था, इत्यादि को दान बाबत कटौती (Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc.) —Section 80G

(क) निम्न को किए गए दान का 100% घटाना अनुज्ञेय—

(1) The National Defence Fund set up by the Central Govt., (2) The Prime Minister's National Relief Fund; (3) The Prime Minister Armenia Earthquake Relief Fund; (4) The Africa (Public Contributions-India) Fund; (5) The National Foundation for Communal Harmony; (6) A University or any educational institution of national eminence as may be approved by the prescribed authority; (7) The Maharashtra Chief Minister's Relief Fund; (8) Any fund set up by the State Govt. of Gujrat exclusitvely for providing relief to victims of earthquake in Gujrat; (9) Any Zila Saksharta Samiti constituted in any district under the Chairmanship of Collector of that district for the purposes of improvement of primary education in villages and towns and for literacy and post literacy activities; (10) the National Blood Transfusion Council or to any State Blood Transfusion Council; (11) any fund set up by a State Govt. to provide medical relief to the poor; (12) the Army Central Welfare Fund or the Indian Naval Benevolent Fund or the Air Force Central Welfare Fund; (13) the Andrha Prades Chief Minister's Cyclone Relief Fund, 1996; (14) the National illness Assiatsnce Fund; (15) the Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's Relief Fund for any State or Union Territory; (16) the National Sport Fund; (17) the National Cultural Fund; (18) the Fund for Technology Development and Applications; (19) the National Trust for welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardantion and Multiple Disabilities; (20) the Govt. or any approved local authority, institution of association for promoting family planning; and (21) Indian Olympic Association or any other association/ institution notified under Section 10(23), for development of infrastructure or sponosrship of sports and games in India (donations by a company). (22) The National children's Fund. (23) Swachh Bharat Kosh, (24) Clean Ganga Fund, (25) National Fund for control of Drug Abuse

(ख) निम्न को किए गए दान की अर्हतित राशि का 50% घटाना अनुज्ञेय है—

(1) The Jawaharlal Nehru Memorial Fund; (2) The Prime Minister's Drought Relief Fund; (3) The Indira Gandhi Memorial Fund; (4) The Rajiv Gandhi Foundation; (5) any fund or institution established in India for a chariatble prupose as is referred to under Section 80-G (5); (6) any fund or institution established in India for a charitable purpose which incurse expenditure, maximum 5% of its income, for a religious purpose under Section 80-G (5B); (7) Govt. or local authority for charitable purposes (other than promotion of family planning); (8) an Authority for town planning and housing etc; (9) any Corporation established by the Central/State Govt. for promoting the interest of the members of a minority community; and (10) any temple, mosque, gurdwara, church or other place of worship which is of historic, archaeologicial or artistic importance.

Conditions— If the aggregate of donations made by the assessee, to institutions/funds referred to in clauses (20) and (21) of (क) above and in clauses (6) to (11) of (ख) above, exceeds 10% of his taxable income, such excess shall not qualify for deduction.

(11) अनुमोदित सामाजिक-विज्ञान/सांख्यिकीय अनुसंधान, ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधानों के संरक्षण, वृक्षारोपण अथवा पात्र परियोजना अथवा स्कीम को दिया गया दान (Donation for approved organisations of scientific, Social Scienc/Statistical research, rural development, conservation of natural resource, afforestation or eligible project or scheme) Section 80GGA— दान की सम्पूर्ण राशि।

(12) अनुसंधान संगठन को कटौती (Deduction in respect of Research Organisation)— सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान में लगे अनुसंधान संघ को दिए गए दान भी कटौती के लिए पात्र होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रेल 2011 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा आगे आने वाले वर्षों के संबंध में लागू होंगे।- **सेक्शन 80 जीजीए**

(13) सुकन्या समृद्धि जमा योजना में जमा राशि 80(C) की छूट में शामिल होगी। यह छूट सिर्फ बालिका के लिए राशि जमा कराने पर विधिक संरक्षक को ही देय होगी। इस योजना में अर्जित ब्याज भी कर मुक्त होगा। **- Sec. 10(11A)**

(14) डी. अन्य कटौतियाँ (other Deductions)—

(1) शारीरिक विकलांगता के मामले में कटौती (Decuction in case of person with disability) Section 80 U—यदि कोई वैयक्तिक निर्धारिती (individual assessee) विकलांग हो और आयकर रिर्टन के साथ चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करता है तो—

- साधारण विकलांगता के मामले में रुपये 75,000 तथा
- गंभीर विकलांगता जो 80% से अधिक हो के मामले में रुपये 1,25,000 की कटौती अनुज्ञेय।
- विकलांगता के अर्थ के लिए सेक्शन 80DD देखें।

शर्तें— कर दाता चिकित्सा अधिकारी से निर्धारित फार्म में प्रमाणपत्र लेकर अपनी आय के रिटर्न के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि विकलांगता की स्थिति को पुन: निर्धारित करने की आवश्यकता हो तो मूल प्रमाणपत्र में उल्लेखित अवधि की समाप्ति पर नया प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

(15) विद्युत वाहन के लिये किए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती [धारा 80EEB]

किसे मिलेगी: एक व्यक्ति (Individual) करदाता को, जिसने एक विद्युत वाहन खरीदने के उद्देश्य के लिये, किसी बैंक/deposit ले रही NBFC/systemically महत्वपूर्ण deposit नहीं ले रही NBFC से ऋण लिया हो।

नोट : विद्युत वाहन से पर्याप्त है एक वाहन जो केवल traction बैटरी पर ही चलता हो और जिसमें electric regenerative braking system लगा हो।

कटौती की राशि : ऐसे ऋण पर (previous year के दौरान देय ब्याज की राशि अधिकतम 1,50,000 रुपए।

शर्तें : (1) ऋण 1.4.2019 से 31.3.2023 के बीच अनुमोदित किया गया हो।

(2) जिस ब्याज के लिए इस धारा के तहत कटौती ली जा चुकी हो, वह किसी अन्य प्रावधान में उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष में कटौती योग्य नहीं होगा।

(16) बचत खाते से प्राप्त ब्याज की 10000 रुपए का सीमा तक छूट : व्यक्ति करदाता या संयुक्त हिन्दु परिवार को कर निर्धारण वर्ष 2013-14 बैंक, कॉ-आपरेटिव बैंक व पोस्ट ऑपिस के बचत खाते से प्राप्त होने वाले ब्याज की छूट 10000/- रुपए तक मिलेगी व sec. 10(15)(i) के अन्तर्गत पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के ब्याज की छूट 3500 रुपए (Single Account) व 7000 रु. (Joint Account) की मिलेगी। (धारा 80TTA)

(17) वरिष्ठ नागरिक को बचत खाते एवं स्थायी जमा खाते से प्राप्त ब्याज पर 50000 रुपए की सीमा तक छूट-कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से वरिष्ठ नागरिक को बैंक/कॉ-आपरेटिव बैंक/पोस्ट ऑफिस से बचत खाते, स्थाई जमा खाते से प्राप्त ब्याज पर 50000 रुपए की छूट मिलेगी परन्तु वरिष्ठ नागरिक को अब धारा 80 TTA के तहत कटौती नहीं मिलेगी। (धारा 80TTB)

स्त्रोत पर आयकर की कटौती की दरें

फार्म का विवरण	कटौती की धारा	कटौती की दर	उपकर	विशेष विवरण एक समय में
(1) (i)ठेकेदारों को भुगतान एक व्यक्ति करदाता, HUF	194(C)	1 %	-	एक समय में 30,000 तथा वार्षिक-1.00 लाख रु. तक की संविदा के प्रतिफल पर टीडीएस की कटौती
(ii) पार्टनरशिप फर्म		2%		नहीं होगी
(2) ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर)	194 (ए)	10 %	-	ब्याज की राशि 10000 से अधिक होने पर ही कटौती होगी।
वरिष्ठ नागरिकों हेतु		10 %	-	ब्याज की राशि 50000 से अधिक होने पर ही कटौती होगी।
(3) किराये के भुगतान से एक व्यक्ति करदाता	194 (i)	10 %	-	2,40,000 वार्षिक किराये से अधिक होने पर
प्लांट एवं मशीनरी के किराये पर		2%		
(4) पेशा सम्बन्धी तकनीकी सेवा	194 (j)	10 %	-	30,000 के ऊपर की राशि पर
(5) लॉटरी इत्यादि की आय पर	194 (B)	30 %	-	10000 से अधिक की आय पर
(6) दलाली एवं कमीशन	194 (H)	5 %	-	15000 से अधिक राशि होने पर (1.6.16 से)

स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के परिणाम : यदि कोई व्यक्ति स्त्रोत पर कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार है तथा कर की कटौती नहीं करता है अथवा कटौती करने के पश्चात कर भुगतान करने में असफल रहता है तो जिस तारीख से कर की कटौती की जानी थी उस तारीख तक जिस दिन वास्तव में भुगतान किया गया है कर की राशि पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देना होगा। जुर्माना भी वसूल किया जा सकेगा। धारा 201 (1A)

कर का अग्रिम भुगतान - प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम कर का भुगतान करना उस स्थिति में अनिवार्य है, यदि देय अग्रिम कर की राशि 5000 रुपए अथवा इससे अधिक हो। आय की सभी मदों में अग्रिम कर का भुगतान अनिवार्य है।

अग्रिम कर की गणना

किश्त की देय तिथि	देय अग्रिम कर
गत वर्ष की 15 जून तक	15 प्रतिशत
गत वर्ष की 15 सितम्बर तक	45 प्रतिशत
गत वर्ष की 15 दिसम्बर तक	75 प्रतिशत
चालू वर्ष की 15 मार्च तक	100 प्रतिशत

अग्रिम कर का भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

स्त्रोत पर आयकर कटौती की विवरणी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से त्रैमासिक भेजी जावेगी-

स्त्रोत पर आयकर कटौती (TDS Returns) की त्रैमासिक विविरणी (Quarterly Returns) इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निम्नांकित तिथियों को प्रेषित की जायेगी।

फार्म सं.	विवरणी	दिनांक
27(A)24 Q, 26 Q		
24 Q	संवेतन शीर्षक से 24 Q व 26 Q अन्य स्त्रोत पर आयकर कटौती की त्रैमासिक विवरणी	
	अप्रेल 21 से जून 21 तक	31 जुलाई 21
	जुलाई 21 से सितम्बर 21 तक	31 अक्टू. 21
	अक्टू. 21 से दिसम्बर 21 तक	31 जनवरी 22
	जनवरी 22 से मार्च 22 तक	31 मई 2022

फार्म सं. 24 Q एवं 26 Q के समर्थन के लिए फार्म सं. 27 A (Physical Control Chart) निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त वर्णित तिथि तक इलेक्ट्रोनिक आयकर विवरणीके साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

e-TDS की त्रैमासिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र (Prescribed Data Structure) में तैयार कर सीडी रोम में स्टोर कर नेशनल सिक्यूरीटिज डिपॉजिटरी लि. (NSDL) द्वारा निर्धारित केन्द्र पर जमा की जावेगी।

मंत्रालयिक कर्मचारियों से ... शेष पृष्ठ 1 से

कहा कि राज्य सरकार किसी आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकती। गौरतलब है कि वित्त विभाग ने इस नोटिफिकेशन के जरिए कर्मचारियों की ग्रेड पे कम कर इसे चार साल पहले की तारीख एक जुलाई 2013 से लागू करने का निर्देश दिया था। जबकि नोटिफिकेशन से पहले कर्मचारियों को 9 साल की सेवा पूरी करने पर ग्रेड पे 2800 रुपए 18 वर्ष के बाद 3600 रुपए 27 वर्ष के बाद 4200 रू ग्रेड पे मिलता था । लेकिन वित्त विभाग के आदेश से यह ग्रेड पे घटाकर अब 2800 रुपए व 3600 की जगह 2400 रुपए व 4200 की जगह पर 2800 रु. कर दिया और कर्मचारियों से रिकवरी निकाल दी।

वेतन कटौती के विरोध ... शेष पृष्ठ 1 से

अजमेर डिस्कॉम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के ज्यादातर अभियंताओं व कर्मचारियों ने दफ्तरों में काली पट्टी बांध कर काम किया। कर्मचारियों ने दफ्तरों में लंच के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।

राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर व मीडिया प्रभारी मुकुट बिहारी वर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री व कंपनी प्रबंधन के नाम कंट्रोलिंग अफसरों को ज्ञापन दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि हर माह पूरा वेतन दिलाने, वेतन कटौती ना करने और मार्च 2020 का स्थगित वेतन दिलवाया जाए।

आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2020-2021 (कर निर्धारण वर्ष 2021-2022)

1. नाम कर्मचारी..... पद.....
2. आय : वर्ष- 2020-2021 में प्राप्त कुल वेतन रु. .....
3. गृह किराया, धारा 10(13-(A))के अन्तर्गत एवं धारा 10 (14) के अन्तर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त है। रु. .....
4. ..... शेष (2-3) रु. .....
5. (i) मनोरंजन भत्ता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत रु.....
   (ii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत रु. ..... योग 5 (i + ii(iii)) रु.....
   (iii) स्टेण्डर्ड डिडेक्शन (standard dedection) 50,000 (अधिकतम)
6. ..... शेष (4-5)
7. (अ) गृह सम्पत्ति से आय : (i) स्वयं के उपयोग में-शून्य (ii) प्राप्त किराया.....

(ब) घटायें :	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग
	रु.....	रु.....	रु.....	रु.....

शेष-/ + (7 (अ) एवं योग 7 (ब) का) रु.....

8. बचत खाते पर ब्याज ..... कुल शेष-/ + (6 एवं 7) रु.....
9. अन्य आय ..... रु.....
10. सकल आय ..... शेष (8+9) रु.....
11. **घटाइये कटौतियाँ :-** (US 80C, 80CCC,80CCD)

(1) पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80 CCC)	.....	(2) पेंशन योजना में अंशदान (धारा 80 CCD(1)) 10% (वेतन + GP + DA.....	)
(3) राज्य बीमा	.....	(4) जीवन बीमा प्रीमियम	.....
(5) राष्ट्रीय बचत पत्र	.....	(6) लोक भविष्य निधि	.....
(7) सामान्य प्रावधायी निधि	.....	(8) यू.एल. आई.पी./वार्षिकी प्लान	.....
(9) पी.एल.आई.	.....	(10) गृह ऋण किस्त	.....
(11) ट्यूशन फीस	.....	(12) स्थगित वार्षिकी (Defferred Annuty.....	)
(13) इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम	.....	(14) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज	.....
(15) अन्य	.....		

योग.... (11) (1 से 15 तक)अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक होगी.....

धारा 80CCE/80CCCD - नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट

धारा 80CCD (1B) - नई पेंशन स्कीम में अंशदान 50,000/- की छूट

अन्य कटौतियां

12. चिकित्सा बीमा प्रीमियम 80 (D) (के अनुसार 25000) वरिष्ठ नागरिकों को 50,000
13. आश्रित विकलांग के अनुरक्षण/चिकित्सा उपचार 80 DD ..... अधिकतम 75,000 तथा 80% विकलांगता पर 1,25,000/-
14. विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (80DDB) (अधिकतम 40,000 सीनियर सिटीजन हेतु 1,00,000) .....
15. उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर ब्याज की राशि (80 E..... .....
16. दान (80 G) (धारा 80 G में 'क' श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं 'ख' श्रेणी में 50 प्रतिशत))
17. अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिय गया दान (80 GGA..... .....
18. शारीरिक विकलांगता (80 U) अधिनियम 75,000 तथा 80 प्रतिशत विकलांगतापर 125000)
19. 80 TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज 10,000 धारा 194 (IA..... .....
19 (i) 80 TTB वरिष्ठ नागरिकों को सभी ब्याज पर छूट 50,000 धारा 194 A)
20. कुल कटौती (11 से 19 का योग) .....
21. **कर योग्य आय (10-20)** .....
22. **आयकर की गणना विकल्प-1 के अनुसार है। विकल्प-2 चुनने पर आयकर की गणना पृष्ठ ..... के अनुसार होगी।** .....

एक व्यक्ति करदाता		वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक किन्तु 80 वर्ष तक)		80 वर्ष या अधिक आयु पर	
2,50,000 रु. तक	शून्य	3,00,000 तक	शून्य	5,00,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5%	3,00,001 से 5,00,000 तक	5%	5,00,001-10,00,000	20 प्रतिशत
5,00,001 से 10,00,000 तक	20%	5,00,001 से 10,00,000 तक	20%	10,00,001 से अधिक	30 प्रतिशत
10,00,001 एवं अधिक	30%	10,00,001 से अधिक	30%		

(1) कुल आयकर .....
(2) छूट धारा 87 (A) (5.00 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट 12500/- तक) .....
(3) शेष आयकर .....
(4) शिक्षा व चिकित्सा उपकर 4% (आयकर पर) .....
(5) **कुल आयकर** .....

23. स्रोत परआयकर कटौती का विवरण

सितम्बर 2020 तक	दिसम्बर 2020 तक	जनवरी 2021 तक	फरवरी 2021 तक	टी.डी.एस. (कुल)	योग
रु.....	रु.....	रु.....	रु.....	रु.....	रु.....

आयकरदेय/वापसी योग्य शेष-/ + रु.....

हस्ताक्षर